

दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्याप्त उच्च स्तर पर विस्तृत कार्यविधियाँ निर्धारित की गई हैं। हाँ तक ऊपर (क) में उल्लिखित मामलों में पुनर्नियुक्ति के कारणों का सम्बन्ध है, इन्हें मोटे तौर पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :—

- (i) नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार अधिकाधिकारों का उपलब्ध न होना।
- (ii) लोक हित की अत्यावश्यकता।
- (iii) जहाँ पद के लिए अपेक्षित उच्च विशेषज्ञता के ज्ञान तथा अनुभव के कारण पुनर्नियुक्ति आवश्यक हो गई हो।

**Utilisation of Cauvery Water for Power Generation by Kerala**

5669. **SHRI C. K. CHANDRAPAN:** Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the Kerala Government is keen about its proposal to utilise Cauvery waters for power generation in its two hydro-electric projects; and

(b) if so, the main features thereof?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD):** (a) and (b). Yes, Sir. The Kerala State has sent the following two schemes:

(i) *Mananthody Hydro Electric Project:*

It envisages the creation of a reservoir of a gross capacity of 327 million cubic meters (mcum) by construction of a 3627 meter high dam across the Mananthody river, construction of tunnel to divert the waters from the Mananthody reservoir to the adjacent Valapathan basin, and a

power station with an installed capacity of 200 MW.

(ii) *Kerala Bhavani H. E. Scheme:*

It envisages west-ward diversion of the waters of the Bhavani for power generation. The scheme envisages construction of a 61 meter high masonry dam and a power station with an installed capacity of 100 MW.

**Indo German Agreement for manufacture of Gas Plant**

5670. **SHRI C. K. CHANDRAPAN:** Will the Minister of INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether Government are aware that an agreement for manufacturing producer gas plant has been signed between Bird Company, Calcutta and Reramishe Industries Bedarfs, West Germany recently;

(b) if so the facts thereof; and

(c) the reaction of Government's thereto?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (SHRI A. C. GEORGE):** (a) to (c). A proposal for foreign collaboration has been received. It has been receiving appropriate consideration of the Government.

**Activities of C.I.A. in Jamtara**

5671. **SHRI BIBHUTI MISHRA:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the Searchlight published from Patna dated 26th February, 1975, page 2, column 1 to 3 under the heading "C.I.A. active in Jamtara, alleges Congress M.L.A.";

(b) if so, whether Central Government have received any report from its Central Intelligence; and

(c) if so, the facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (c). Government have seen the relevant news report. Facts are being ascertained.

राज्यों और गांवों में टेलीविजन सेंट्रस लगाने के लिए मानदण्ड

5672. श्री विभूति मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और ग्रामों में टेलीविजन लगाने के लिए क्या मानदण्ड बनाया गया है ;

(ख) क्या 28 फरवरी, 1975 तक बहुत से राज्यों और ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सभी क्षेत्रों के लिए एक समान नीति अपनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन उपग्रह मंचार टेलीविजन प्रयोग के लिए 6 क्षेत्रों के ग्रामों में 2400 सीटें रिसेप्शन सेंट्रल लगाने के काम में लगी हुई हैं इन ग्रामों के मन चका मुख्य मापदण्ड बिजली की उपलब्धता, भाषाई निकटता, इत्यादि थे ।

दिल्ली, श्रीनगर तथा बम्बई के वर्तमान टेलीविजन केन्द्रों के सेवाक्षेत्रों के अन्दर भी कुछ सामान्य सामुदायिक टेलीविजन सेंट्रल बनाए गए हैं । सामुदायिक टेलीविजन योजना के अर्न्तगत निकट भविष्य में बाबू होने वाले हैं, केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों के अन्दर और टेलीविजन सेंट्रल लगाने का क्यास है ।

(ग) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन के प्रभाव तथा उसकी उपयोगिता बढ़ाने के माध्यम के रूप में सामुदायिक टेलीविजन योजना पर बहुत जोर देती है, परन्तु केन्द्र तथा राज्यों के पास उपलब्ध मीमित धनराशि के कारण इसका आकार सीमित है

दामोदर घाटी गिगम के अग्रधीन चल रहे मिडल और हाई स्कूल

5673. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के अग्रधीन पंचेत, कोनार, तिलैया और दुर्गापुर में मिडल और हाई स्कूल संचालित हो रहे हैं ;

(ख) क्या पंचेत मिडल इंगलिश स्कूल को छोड़ कर मिडल स्कूल कोनार, मिडल और हाई स्कूल तिलैया तथा मिडल और हाई स्कूल दुर्गापुर में उर्दू भाषी छात्रों को पढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(घ) क्या निगम के स्कूलों में जो स्नान-कोत्तर शिक्षक, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, भूगोल, राजनीति शास्त्र, पशु-शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि ढाने हैं उन्हें सीनियर स्कूल दिया जाता है और उर्दू शिक्षकों को जूनियर स्कूल दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस भेदभाव की नीति के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दामोदर घाटी निगम पंचेत और तिलैया में मिडल और